

प्रेस विज्ञापित

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/पोक्सोएक्ट/मादक पदार्थ/अन्य से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण-

थाना-देवगांव

2 किलो 650 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ दो अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 14.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक देवगांव कस्बा लालगंज में मौजूद थे कि मुखविर खास द्वारा बताया गया कि दो महिला नकाब पोस में सिनेमा तिराहे का पास पकरिया के पेड़ के नीचे गुमती के पीछे गाँजा बेच रही है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर तत्काल महिला आरक्षियों को तलब कर मुखविर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचे तो पुलिस वालों को देखकर दोनों महिलाएँ झोला लेकर भागना चाही कि महिला आरक्षी की मदद से करीब 10 कदम जाते जाते पकड़ लिया गया. भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि हम लोगो के पास गाँजा है पकड़े जाने के डर से भाग रही थी कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। दोनों महिलाओं की महिला आरक्षी से जामा तलाशी ली गयी तो सकीना के बाये हाथ के लिये झोले में पन्नी में बँधा हुआ 1 किलो 300 ग्राम गाँजा व मुस्कान के कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद कर समय करीब 19.45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा स्थानीय थाने पर 1- मु.अ.स. 210/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगाँव आजमगढ़ बिरुद्ध मुस्कान 2- मु.अ.स. 211/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगाँव आजमगढ़ बिरुद्ध सकीना पंजीकृत कर चाला माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- श्रीमती मुस्कान पत्नी नन्हे साईं नि0 मड़इया महमदपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़
- 2- श्रीमती सकीना पत्नी शबू फकीर निवासी मड़इया महमदपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़

बरामदगी:-

1. श्रीमती सकीना के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गाँजा
2. श्रीमती मुस्कान के कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम गाँजा

पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु.अ.स. 210/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगाँव आजमगढ़ बिरुद्ध मुस्कान
- 2- मु.अ.स. 211/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगाँव आजमगढ़ बिरुद्ध सकीना

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह
2. उ.नि. अनिल कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह।

थाना- बरदह

थाना बरदह पुलिस द्वारा कुल 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दि० 15.09.2020 उ०नि० विष्णु प्रसाद मिश्रा उ०नि० देवलाल यादव मय हमराह हे०का०अशोक सिंह यादव का०आफताब आलम का०अरविन्द पाल देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु ग्राम जिवली मे मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना दिया गया कि मु०अ०स० 132/20 धारा 147 ,323,504,308,506,452,427 भादवि, से सम्बन्धित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है इस सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय हमराहियान के ग्राम सकरामऊ अभियुक्त के घर पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने घर के सामने चारपाई पर बैठा दिखाई दिया हम पुलिसवालो को देखकर सकपका कर भागने लगा कि हम पुलिस वालो द्वारा घेर कर पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र रामप्रकाश ग्राम सकरामऊ थाना बरदह आजमगढ बताया तस्दीक करने के उपरान्त कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 7.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

उ०नि० विष्णु प्रसाद मिश्रा उ०नि० देवलाल यादव मय हमराह हे०का०अशोक सिंह यादव का०आफताब आलम का०अरविन्द पाल द्वारा ओमप्रकाश पुत्र रामप्रकाश ग्राम सकरामऊ थाना बरदह आजमगढसमय करीब 07.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म स्वीकार किया गया ।

4.पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०स० 132/20 धारा 147 ,323,504,308,506,452,427 भादवि, थाना बरदह आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रकाश ग्राम सकरामऊ थाना बरदह आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० विष्णु प्रसाद मिश्रा उ०नि० देवलाल यादव मय हमराह थाना- बरदह, आजमगढ।

थाना- बरदह

आज दि० 15.09.2020 उ०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराह का० अभय प्रताप सिंह , का० योगेन्द्र यादव , का० अनुपम सिंह के चौकी देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त संबंधित मु०अ०स० 218/20 धारा 323/452/354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट की गिरफ्तार हेतु अभि० के घर ग्राम शंकरपुर मे पहुंचा तथा अभि० के घर पर एक व्यक्ति लेटा हुआ मिला जिसको उठा कर नाम व पता पूछा गया तो लेटे हुए व्यक्ति द्वारा अपना नाम शिवनरायन पुत्र स्व० रामनाथ ग्राम शंकरपुर थाना बरदह आजमगढ -50 वर्ष बताया चूकि अभि० शिवनरायन उपरोक्त मुकदमा हाजा मे वांछित अभि० है । अतः कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

उ०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराह का० अभय प्रताप सिंह , का० योगेन्द्र यादव , का० अनुपम सिंह के द्वारा अभि० शिवनरायन पुत्र स्व० रामनाथ ग्राम शंकरपुर थाना बरदह आजमगढ -50 वर्ष को समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म स्वीकार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 218/20 धारा 323/452/354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- शिवनरायन पुत्र स्व0 रामनाथ ग्राम शंकरपुर थाना बरदह आजमगढ -50 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना-बरदह, आजमगढ।

थाना जहानागंज

दो नफर वाछित अभियुक्ता गिरफ्तार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

दिनांक 13.9.2020 को श्री राम यादव पुत्र स्व0 लक्खन राम यादव ग्राम हुसैनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ हाल पता क्षेत्रीय लेखपाल सेवटा सदर जनपद आजमगढ के लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 15.09.2020 को व0उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 201/2020 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित वाछित अभियुक्ता 1. प्रमिला देवी पत्नी देवा उर्फ राजदेव , 2. सुभावती देवी पत्नी जयराम राम निवासी सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को समय करीब 09.00 बजे सुबह मे अभियुक्ता को थाने से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्ता 1. प्रमिला देवी पत्नी देवा उर्फ राजदेव , 2. सुभावती देवी पत्नी जयराम राम निवासी सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ गलती की माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब गलती हो गयी । अब दोबारा गलती नहीं करुगी ।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

आपराधिक इतिहास:-

प्रमिला देवी पत्नी देवा पत्नी उर्फ राजदेवनिवासी सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

1-धारा 237/19 धारा 323/504/506/308 भादवि

2- सुभावती देवी पत्नी जयराम राम निवासी सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ -नील

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. प्रमिला देवी पत्नी देवा उर्फ राजदेव , 2. सुभावती देवी पत्नी जयराम राम निवासी सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-व0उ0नि0 विकास चन्द पाण्डेय मय हमराह थाना जहानागंज, आजमगढ।